

# मध्यप्रदेश विधान सभा

विधान सभा के द्वारा दिया गया फरवरी-अप्रैल, 1995 सत्र  
कार्यक्रम में संबंधित अनियमित समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन

## कानिका विधायिका सूची

विधान सभा शुभ्रवार, दिनांक 10 मार्च, 1995 (गाल्युन 19, 1916)

समय 10.30 बजे जिले 11.

### 1. प्रश्नोत्तर

प्रधानमंत्री के पथकरत वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

### 2. पत्रों का पटल पर रखा आनंद

डॉ. प्रेमसायन सिंह, राज्यमंत्री मछली पालन, मध्यप्रदेश राज्य मर्स्य विकास निगम अधिनियम, 1979 (कानून 6 सन् 1979) की धारा ३० की उपधारा (३) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य मर्स्य विकास निगम का अकेशण प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 पटल पर रखेंगे।

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकरण

(1) सर्वश्री जालमसिंह पटेल, रविन्द्र चौबे, सदस्य, दुर्ग जिले में डोलोमाइट के खनन में राघटी की ओर से शासन को हो रही हानि की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री छतराम देवांगन, सदस्य, बिलासपुर जिले के ग्राम हरदी में दो महिलाओं की हत्या से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के ग्राम जैतपुर में विभागीय लोगों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई किये जाने की ओर बन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) सर्वश्री बनवारी लाल अग्रवाल, भूपेन्द्र सिंह, डॉ. गौरी शंकर शेजवार, सदस्य, मुरैना जिले के कराहल थाना कार्मियों द्वारा एक आदिवासी महिला के साथ थाने में बलात्कार किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(5) सर्वश्री बच्चवन नाथक, कंकिर मुंजारे, जयकरण साकेत, सदस्य, उत्तरपुर में जिलाध्यक्ष के निर्देश पर हुए लाठी आर्जे से कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(6) श्री शिव प्रताप सिंह (सुरजपुर), सदस्य, सराजुजा जिले के अनेक क्षेत्रों में कोयले के चूर्ण से बीमारी फैलने की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(7) श्री रघुनन्दन शर्मा, सदस्य, भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में फर्जी अंक सुचियों का मामला पकड़े जाने की ओर राज्यमंत्री उच्च शिक्षा का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(8) श्री बुजेन्द्र पाठक, सदस्य, सतना जिले में अनेक गाँवों के नक्शे गायब होने से उत्पन्न स्थिति की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(9) श्री पर्वतलाल अहिरवार, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम खैरा में एक परिवार को प्रताङ्कित किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(10) डॉ. माधव प्रसाद शास्त्री, सर्वश्री कैलाश आवला, अगदीश देवडा, सदस्य, मंदसौर जिले के भानपुरा शाखा के बैंक अधिकारियों के साथ मारपीट होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(11) श्री रघुराज सिंह तोमर, सदस्य, धार जिले की मान परियोजना कार्य में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं होने की ओर उप मुख्यमंत्री (नर्मदा घाटी विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

### 4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री बालेन्दु शुक्ल, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान सभा का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

### ५. राज्यमंत्री पंचायत का वर्कव्हय

श्री रामनिवास रावत, राज्यमंत्री पंचायत, दिनांक ९ मार्च, १९९५ को पूछे गये अताराकित प्रश्न संख्या १ (क्रमांक ३१) के उत्तर में संशोधन किये जाने के संबंध में वर्कव्हय देंगे।

#### निर्धारित समय

२ घन्टे

#### ६. वर्ष १९९५-९६ की अनुदानों की मार्गों पर मतदान

(१) मांग संख्या	24	लोक निर्माण कार्य-सङ्केते और पुल
मांग संख्या	67	लोक निर्माण कार्य-भवन
मांग संख्या	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक
मांग संख्या	68	निर्माण कार्य-सङ्केते और पुल
		आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक
		निर्माण कार्य-भवन
२ घन्टे	(२) मांग संख्या	वन
	मांग संख्या	वन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता
	मांग संख्या	प्राप्त परियोजनायें
	मांग संख्या	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय
	मांग संख्या	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित विदेशी
	मांग संख्या	सहायता प्राप्त परियोजनायें
		खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय

#### ७. आशास्त्रीय संकल्प

(१) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

१५ मि.

"यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि रीवा-जबलपुर शटल में एक प्रथम श्रेणी का डिब्बा लगाकर फास्ट पैसेंजर के रूप में भोपाल तक चलाई जाय।"

(२) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

१५ मि.

"इस सदन का यह मत है कि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बस मालिकों को बस संचालन हेतु परमिट जारी किये जायें।"

(३) श्री गोविन्द मिश्रा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

३० मि.

"इस सदन का यह मत है कि श्रम न्यायालयों में श्रमिक दुर्घटना क्षतिपूर्ति का पैसा, जमा दिनांक से फैसला होने तक की अवधि का, ब्याज सहित भुगतान करने का प्रावधान नियमों में किया जाये।"

(४) श्री मुनीराम साहू, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

३० मि.

"इस सदन का यह मत है कि शासन ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत केन्द्र पर रियायती वर पर जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था करे।"

(५) श्री बच्चवन नायक, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

३० मि.

"इस सदन का यह मत है कि प्रदेश में घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपकरणों को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाये।"

भोपाल :  
दिनांक : ९ मार्च, १९९५

शीला शास्त्रा  
सचिव,  
मध्यप्रदेश लिधान सभा